अनुबंध

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - पुनरीक्षित फ्रेमवर्क
{देखें 30 नवंबर 2015 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32}

ए. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के प्रकार

बाह्य वाणिज्यिक उधार वे उधार हैं जो अनुमत निवासी कंपनियों (एंटिटीज) द्वारा मान्यताप्राप्त अनिवासी कंपनियों (एंटिटीज) से लिए जाते हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार फ्रेमवर्क के अंतर्गत लिए लिए गए उधार निम्नलिखित स्वरूप के हो सकते हैं:

i. बैंक ऋण ;
ii. प्रतिभूतिकृत (सिक्युरिटाइज्ड) लिखत (अर्थात फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बांड्स, अपरिवर्तनीय, विकल्पत: परिवर्तनीय अथवा अंशत: अधिमानी शेयर/डिबेंचर) ;
iii. क्रेता से ऋण;
iv. विक्रेता से ऋण;
v. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCBs) ;
vi. वित्तीय लीज़ (फाइनेंशियल लीज़); और
vii. विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (FCEBs)

जबकि पहले 6 (छह) प्रकार के ऋण स्वचालित एवं अनुमोदन दोनों मार्गों के अंतर्गत लिए जा सकते हैं, वहीं विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (FCEBs) केवल अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं।

बी. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) फ्रेमवर्क में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द

i. समग्र लागत (All-in-cost)

समग्र लागत में ब्याज दर, अन्य शुल्क (फीस), व्यय, प्रभार, गारंटी शुल्क 'चाहे विदेशी मुद्रा में अदा किया गया हो अथवा भारतीय रुपए में' शामिल हैं, किन्तु प्रतिबद्धता शुल्क(फीस), नियत अवधि से पूर्व भुगतान करने पर फीस / प्रभार, भारतीय रुपए में रोक रखे गए (withholding) कर शामिल नहीं होंगे। नियत दर ऋण (fixed rate loan) के मामले में, स्वाप लागत + कीमत-लागत अंतर (spread) को फ्लोटिंग रेट + लागू स्प्रेड के बराबर होना चाहिए।

ii. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, उपर्युक्त से बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता द्वारा ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त करने सहित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करने, प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग और बाह्य वाणिज्यिक उधार लेनदेनों की निगरानी हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की नामित की गई शाखा अभिहित है।

iii. **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड** (FCCBs) **और विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (FCEBs)**:

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत लिखत हैं जो, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के अनुसार जारी किए जाने चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) निर्गम योजना, 2008 के अनुसार जारी किए जाने चाहिए। इन बांडों की मूल राशि तथा उन पर देय ब्याज, दोनों ही, विदेशी मुद्रा में देय होते हैं एवं इन्हें कर्ज लिखतों के अनुलग्नक वारंटों से संबंधित किसी ईक्विटी के आधार पर, जारीकर्ता कंपनी अथवा प्रस्तावित (आफर्ड) कंपनी, जैसा भी मामला हो, के पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से, किसी भी रूप में, परिवर्तनीय सामान्य शेयरों के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय कंपनी जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका गया हो, ऐसी कंपनी सहित भारतीय प्रतिभूति बाजार से निधियां लेने के लिए अपात्र भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड/विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड जारी करने के लिए पात्र नहीं होगी। नीचे दिए गए विभिन्न उपबंधों के अलावा, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड एवं विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड, समय-समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के यथा लागू विनियमों के अनुरूप भी होने चाहिए।

iv. **विदेशी ईक्वटी धारक (होल्डर)**

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) के प्रयोजन के लिए विदेशी ईक्वटी होल्डर शब्दावली का तात्पर्य: (ए) उधारदाता द्वारा उधार लेने वाली एंटिटी में न्यूनतम 25% प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारण करने वाले धारक से, (बी) न्यूनतम 51% अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारण करने वाले अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारक से, और (सी) एक ही ओवरसीज मूल कंपनी(common overseas parent) वाली ग्रुप कंपनी से है।

v. **इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र**

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की मास्टर समन्वित सूची पर विचार किया जाएगा जो 27 मार्च 2012 की यथा संशोधित/अद्यतनीकृत अधिसूचना सं. एफ. 13/06/2009-आईएनएफ में दी गई है।

सी. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने के लिए मानक (पैरामीटर्स)

1. न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (MAM)

ईसीबी लेने के तीनों मार्गों (tracks) के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि निम्नवत निर्धारित की गई है:

ट्रैक (Track) I	ट्रैक (Track) II	ट्रैक (Track) III
i. 50 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए 3 वर्ष। ii. 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए 5 वर्ष।	10 वर्ष, भले ही राशि कितनी भी क्यों न हो।	जैसाकि ट्रैक-I में उल्लिखित है।

2. पात्र उधारकर्ता (eligible borrowers)

निम्नलिखित तालिका में उन एंटिटीज़ की सूची दी गई है जो उल्लिखित ट्रैक्स के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने के लिए पात्र हैं।

ट्रैक (Track) I	ट्रैक (Track) II	ट्रैक (Track) III
i. विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), एवं साफ्टवेयर विकास क्षेत्र में संलग्न कंपनियां। ii. नौवहन(शिपिंग) एवं एयरलाइन कंपनियां। iii. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयां। v. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) (केवल अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत)।	i. ट्रैक-I के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी एंटिटीज़। ii. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां। iii. होल्डिंग कंपनियां। iv. कोर (Core) निवेश कंपनियां। v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (INVITs) ।	i. ट्रैक-II के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी एंटिटीज़। ii. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)। iii.एनबीएफसी-माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (NBFCs-MFIs), लाभ न लेने वाली कंपनियों के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, समितियां, ट्रस्ट और सहकारी संस्थाएं (क्रमश: समिति (सोसाइटी) पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास

		(ट्रस्ट) अधिनियम, 1882 एवं राज्य स्तरीय सहकारिता अधिनियमों/ बहु-स्तरीय सहकारिता अधिनियम / राज्य स्तरीय परस्पर सहयोगी सहकारिता अधिनियम), गैर सरकारी संगठन (NGOs) जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों[1] में संलग्न हैं। iv.विविध सेवाओं में संलग्न कंपनियां यथा अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण (शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न), इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली कंपनियां, लाजिस्टिक सेवाएं देने वाली कंपनियां। v.विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/ राष्ट्रीय विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्र (NMIZs) के डेवलपर्स।

नोट्स:

1. *माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न एंटिटीज़ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने के लिए पात्र होंगी, यदि: (i) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के साथ (विगत) न्यूनतम तीन वर्षों के उनके संतोषजनक उधारी संबंध हों, और (ii) 'सही और उचित होने' संबंधी मानकों के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से उन्हें 'समुचित सावधानी' प्रमाणपत्र प्राप्त हो।*

3. मान्यताप्राप्त उधारदाता/निवेशक

तीनों ट्रैक्स के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाताओं/निवेशकों की सूची नीचे दी गई है:

ट्रैक (Track) I	ट्रैक (Track) II	ट्रैक (Track) III
i. अंतर-राष्ट्रीय बैंक। ii.अंतर-राष्ट्रीय पूंजी बाजार।	ट्रैक-I के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी एंटिटीज़ किन्तु भारतीय बैंकों की	ट्रैक-I के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी एंटिटीज़ किन्तु भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/

iii.बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे, IFC, ADB, आदि)/ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और (पूर्णतः अथवा अंशत) स्वामित्व वाली सरकारी वित्तीय संस्थाएं। iv.निर्यात ऋण एजेंसियां। v.उपकरणों के आपूर्तिकर्ता। vi.विदेशी ईक्विटी धारक। vii. समुद्रपारीय(overseas) दीर्घावधि निवेशक जैसे: ए.विवेकपूर्ण रीति से विनियमित वित्तीय एंटिटीज़; बी. पेशन फंड; सी. बीमा कंपनियां; डी. राष्ट्रिक धन निधियां (SWF) ; ई. भारत में अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में स्थित वित्तीय संस्थाएं। viii. भारतीय बैंकों[2] की समुद्रपारीय शाखाएं/सहायक कंपनियां।	समुद्रपारीय शाखाओं/ सहायक कंपनियों के लिए।	सहायक कंपनियों के लिए। 2.एनबीएफसीज़-एमएफआईज़, अन्य पात्र एमएफआईज़, लाभ न लेने वाली कंपनियों और एनजीओज़ के लिए नहीं, ईसीबी ओवरसीज़ संगठनों[3] एवं व्यक्तियों[4] से भी प्राप्त की जा सकती है।

नोट्स:

2. *भारतीय बैंकों, उनकी ओवरसीज़ शाखाओं/सहायक कंपनियों द्वारा सहभागिता रिज़र्व बैंक के बैंककारी विनियमन विभाग द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अधीन होगी।*
3. *ईसीबी उधार देने का प्रस्ताव करने वाले ओवरसीज़ संगठन को उधारकर्ता के प्राधिकृत व्यापारी बैंक को किसी ओवरसीज़ बैंक से 'समुचित सावधानी' के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जो मेज़बान देश के विनियामक के विनियमों के अधीन हो और ऐसा मेजबान देश धनशोधन निवारण(एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध(CFT) के संबंध में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता हो। 'समुचित सावधानी' प्रमाणपत्र में अग्रलिखित बातों का समावेश होना चाहिए: (i) कि*

उधारदाता, बैंक के साथ न्यूनतम दो वर्षों से खाता रखे हुए है, (ii) कि उधारदाता एंटिटी का गठन स्थानीय कानूनों के अनुसार हुआ है एवं कारोबारी/स्थानीय समुदाय में उसका खासा सम्मान है, और (iii) उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

4. *व्यक्ति उधारदाता को समुचित सावधानी संबंधी प्रमाणपत्र ओवरसीज़ बैंक से प्राप्त करना है जिसमें यह उल्लेख हो कि (व्यक्ति) उधारदाता उस बैंक के साथ न्यूनतम दो सालों से खाता रखे/बनाए हुए है। अन्य साक्ष्य/दस्तावेज़ जैसे लेखापरीक्षित लेखा विवरण एवं आयकर विवरणी, जो व्यक्ति उधारदाता प्रस्तुत करे, को ओवरसीज़ बैंक द्वारा प्रमाणित कर अग्रसारित करना है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा एएमएल/सीएफटी के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का जो देश पालन नहीं करते हैं, ऐसे देशों के व्यक्ति उधारदाता ईसीबी देने के लिए पात्र नहीं हैं।*

4. **समग्र लागत**(AIC)

तीनों ट्रैक्स के लिए समग्र लागत संबंधी अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:

ट्रैक (Track) I	**ट्रैक (Track) II**	**ट्रैक (Track) III**
i. स्प्रेड-ओवर बेंच मार्क के जरिए समग्र लागत की उच्चतम सीमा निम्नवत विनिर्दिष्ट की गई है: ए. 3 से 5 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि वाली ईसीबी के लिए - 6 माह की LIBOR दर अथवा संबंधित मुद्रा (करेंसी) के लिए लागू बेंचमार्क दर से 300 आधार बिन्दु अधिक तक प्रति वर्ष। बी. 5 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता अवधि वाली ईसीबी के लिए - 6 माह की LIBOR दर अथवा संबंधित मुद्रा(करेंसी) के लिए लागू बेंचमार्क दर से 450 आधार बिन्दु अधिक तक प्रति वर्ष। ii. प्रसंविदा में, यदि कोई, चूक अथवा शर्त भंग हो तो दण्डात्मक ब्याज दर, संविदागत ब्याज दर से 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।	i. अधिकतम स्प्रेड-ओवर बेंच मार्क से, 500 आधार बिन्दु अधिक तक प्रति वर्ष । ii. शेष शर्तें ट्रैक-I में दिए अनुसार ।	समग्र लागत बाजार दशा के अनुसार ।

5. अनुमत अंतिम उपयोग

तीनों ट्रैक्स के अंतर्गत लिए जाने वाले ईसीबी हेतु अंतिम उपयोग का निर्धारण निम्न तालिका में किया गया है:

ट्रैक (Track) I	ट्रैक (Track) II	ट्रैक (Track) III
1. ईसीबी आगम राशि का उपयोग निम्न रूप में पूंजी व्यय के लिए किया जा सकता है: i. पूंजी (कैपिटल) माल के आयात हेतु जिसमें सेवाओं, तकनीकी जानकारी का आयात एवं लाइसेंस फीस का भुगतान शामिल है बशर्ते वे पूंजी (कैपिटल) माल के अंश के रूप में हों; ii. पूंजी (कैपिटल) माल को स्थानीय स्रोत से हासिल करने; iii. नई परियोजना; iv. मौजूदा यूनिटों के आधुनिकीकरण / विस्तार; v. संयुक्त उद्यम(JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI); vi. भारत सरकार के किसी विनिवेश कार्यक्रम के तहत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के विनिवेश के किसी चरण में शेयरों का अर्जन;	1. ईसीबी आगम राशि का उपयोग निम्नलिखित को छोड़कर शेष सभी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है: i.रियल इस्टेट गतिविधियों ii.कैपिटल मार्केट में निवेश iii.घरेलू ईक्विटी में निवेश के लिए उपयोग हेतु iv.उल्लिखित किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन के लिए अन्य एंटिटीज़ को आगे उधार देने हेतु v.भूमि की खरीद हेतु 2. होल्डिंग कंपनियां अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी (SPV) को ऋण देने के लिए भी ईसीबी का उपयोग कर सकती है।	एनबीएफसी ईसीबी आगम राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए कर सकती हैं: ए. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए; बी.कैपिटल गुड्स/ इक्विपमेंट्स अर्जित करने के लिए घरेलू एंटिटीज़ को दृष्टिबंधित ऋण (hypothecated loans) उपलब्ध कराने के लिए; और सी. घरेलू एंटिटीज़ को कैपिटल गुड्स/इक्विपमेंट्स लीज़ एवं पट्टे पर देने के लिए। 2. एसईज़ेड/एनएमआईज़ेड के विकासकर्ता केवल एसईज़ेड/एनएमआईज़ेड में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ईसीबी ले सकते हैं। 3. एनबीएफसी-एमएफआई, अन्य पात्र एमएफआई, एनजीओ एवं कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत लाभ न लेने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी/यां स्वयं सहायता समूहों(SHG) अथवा माइक्रो क्रेडिट अथवा सदाशयी

vii. पूंजी (कैपिटल) माल के आयात हेतु लिए गए किसी मौज़ूदा ट्रेड क्रेडिट के पुनर्वित्तपोषण हेतु; viii. पहले ही पोतलदान किए गए/आयातित पूंजी (कैपिटल) माल जिसका भुगतान नहीं हुआ है, उसके भुगतान के लिए ; ix. मौज़ूदा ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण हेतु बशर्ते अवशिष्ट परिपक्वता अवधि न घटायी गई हो। 2. सिडबी केवल माइक्रो, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस (MSME Sector) जो, समय-समय पर यथा संशोधित, एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, के ऊधारकर्ताओं को उधार देने के प्रयोजन हेतु ईसीबी ले सकता है। 3. एसईजेड की यूनिटें केवल अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईसीबी ले सकती हैं। 4. शिपिंग एवं एयरलाइन कंपनियां अपने लिए क्रमश: जहाजों एवं एयरक्राफ्टों के आयात के लिए ही ईसीबी ले सकती हैं। 5. ईसीबी आगम राशि का उपयोग कार्पोरेट अपने समान्य प्रयोजनों (कार्यशील पूंजी सहित) के लिए		(bonafide) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों, जिनमें क्षमता निर्माण (Capacity building) शामिल है, हेतु आगे उधार देने के लिए ईसीबी ले सकते हैं। 4. इस ट्रैक के अंतर्गत पात्र अन्य एंटिटीज़ के लिए ईसीबी आगम राशि निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है: i. रियल इस्टेट गतिविधियों ii. कैपिटल मार्केट में निवेश हेतु iii. घरेलू तौर पर ईक्विटी निवेश में उपयोग हेतु iv. उल्लिखित किसी भी उद्देश्य/प्रयोजन के लिए अन्य एंटिटीज़ को उधार देने के लिए v. भूमि की खरीद हेतु

इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते ईसीबी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डर अथवा ग्रुप कंपनी से न्यूनतम 5 वर्षों के लिए ली जाए। 6. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ईसीबी प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा: i. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के दिशानिदेर्शों के अनुसार पुराने (second hand) माल के आयात हेतु; ii. निर्यात-आयात बैंक(EXIM) द्वारा आगे उधार देने (on lending) के लिए ।		

6. एकल सीमाएं (individual limits)

i. सभी तीनों ट्रैकों के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष स्वचालित मार्ग के अंतर्गत पात्र एंटिटीज़ द्वारा ली जा सकने वाली ईसीबी की एकल सीमाएं (individual limits) निम्नवत निर्धारित की गई हैं:

ए. इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र की कंपनियों के लिए 750 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक;

बी. साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र की कंपनियों के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक;

सी. माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न एंटिटीज़ के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक; और

डी. शेष एंटिटीज़ के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक।

ii. उल्लिखित सीमाओं से अधिक के ईसीबी प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा। ट्रैक-III के अंतर्गत एकल सीमा की निर्धारण के लिए करार की तारीख को प्रचलित (prevailing) विनिमय दर आकलन हेतु इस्तेमाल की जाएगी।

iii. ये सीमाएं ओवरसीज़ में रुपए में मूल्य वर्गीकृत बांडों के निर्गम संबंधी फ्रेमवर्क में निर्धारित सीमाओं से भिन्न/अलग हैं।

7. करेंसी जिसमें उधार लिया जा सकेगा

i. ईसीबी किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय करेंसी एवं भारतीय रुपए में ली जा सकेगी।

ii. रुपए में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी के मामले में, विदेशी ईक्विटी धारक से भिन्न अनिवासी उधारदाता भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के मार्फत स्वाप/एकमुश्त खरीद के जरिए भारतीय रुपए जुटा सकता है।

iii. ईसीबी करेंसी, एक परिवर्तनीय विदेशी करेंसी से किसी अन्य विदेशी करेंसी में और भारतीय रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति है। हालांकि, भारतीय रुपए को किसी अन्य विदेशी करेंसी में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।

iv. ईसीबी करेंसी ऐसे परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों के बीच हुए करार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अथवा यदि ईसीबी उधारदाता सहमत हो तो करार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर से कम दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित की जा सकती है।

8. हेजिंग अपेक्षाएं

ट्रैक-I एवं ट्रैक-II के उपबंधों के तहत ईसीबी लेने वाली एंटिटीज़ से अपेक्षित है कि वे संबंधित क्षेत्र के (विनियामक) अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा, यदि कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हों, का अनुसरण करें।

9. ईसीबी लेने के लिए सिक्युरिटी

i. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे उधारकर्ता द्वारा ईसीबी लेने/ली गई ईसीबी के लिए ओवरसीज़ उधारदाता/प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में अचल परिसंपत्ति, चल परिसंपत्ति, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कार्पोरेट एवं / अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी कर की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित के संबंध में स्वयं संतुष्ट हों:

ए. अंतर्लयित ईसीबी मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुपालन में है,

बी. ऋण करार में इस आशय का उपबंध मौजूद हो कि ओवरसीज़ उधारदाता/प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में अचल परिसंपत्ति, चल परिसंपत्ति, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करना और कार्पोरेट एवं / अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करना अपेक्षित है, और

सी. भारत में मौजूदा उधारदाताओं से, यथा लागू, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो।

ii. एक बार उल्लिखित शर्तें पूरी होने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ईसीबी की अवधि के दौरान अचल परिसंपत्ति, चल परिसंपत्ति, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कार्पोरेट एवं /

अथवा व्यक्तिगत गारंटी जो ईसीबी की अवधि के साथ समाप्त होती हो, जारी करने की मंजूरी दे सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के तहत होगा:

ए. अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन

(i) ऐसी सिक्युरिटी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियमावली, 2000 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत होगी।

(ii) इस अनुमति को ओवरसीज उधारदाता/प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा भारत में अचल परिसंपत्ति (संपत्ति) के अर्जन की मंजूरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(iii) प्रभार के लागू होने/आह्वान पर अचल परिसंपत्ति/संपत्ति केवल भारत में निवासी किसी को बेची जा सकेगी और उससे प्राप्त राशि बकाया ईसीबी की अदायगी के लिए प्रत्यावर्तित की जा सकेगी।

बी. चल परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन

प्रभार के लागू होने/आह्वान पर, उधारदाता का दावा चाहे उधारदाता चल परिसंपत्ति को अधिकार में ले अथवा नहीं, ईसीबी की बकाया के दावे तक ही सीमित होगी। भारग्रस्त चल परिसंपत्ति घरेलू उधारदाताओं, यदि कोई हों, द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन देश से बाहर भी ले जायी जा सकती है।

सी. वित्तीय प्रतिभूतियों(सिक्युरिटीज़) पर प्रभार का सृजन

(i) प्रवर्तकों द्वारा उधारकर्ता कंपनी के साथ ही साथ उधारकर्ता कंपनी की घरेलू सहयोगी कंपनियों के धारित शेयर गिरवी रखने की अनुमति है। अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों यथा बांडों एवं डिबेंचरों, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी बचत प्रमाणपत्रों, सिक्युरिटीज़ की जमा-रसीदें और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अथवा किसी म्युचुअल फंड की यूनिटें जो ईसीबी उधारकर्ता/ प्रवर्तकों के नाम में हों, को भी गिरवी रखने की अनुमति है।

(ii) इसके अलावा, सभी वर्तमान और भावी ऋण परिसंपत्तियों पर सिक्युरिटी इन्टरेस्ट (security interest) एवं नकदी तथा नकदी समतुल्य परिसंपत्तियों सहित सभी मौजूदा परिसंपत्तियां, जिनमें भारत में ए.डी. बैंक के पास उधारकर्ता के रुपया खाते शामिल हैं, जो उधारकर्ता/प्रवर्तक के नाम में हैं, उन्हें ईसीबी लेने हेतु सिक्युरिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उधारकर्ता/प्रवर्तक के खाते, एस्क्रो व्यवस्था अथवा ऋण सर्विस रिज़र्व खाते के रूप में भी हो सकते हैं।

(iii) यदि गिरवी का आह्वान किया जाता है, तो वित्तीय प्रतिभूतियों का अंतरण सेक्टोरल कैप एवं कीमत निर्धारण संबंधी यथा लागू उपबंधों सहित मौजूदा एफडीआई/एफआईआई नीति के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अनुसार होगा।

डी. कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करना

(i) ऐसी कार्पोरेट गारंटी जारी करने वाली कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इस आशय के पारित संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें उस प्राधिकृत अधिकारी के नाम का उल्लेख हो जो कंपनी की ओर से अथवा व्यक्तिगत क्षमता में उसे निष्पादित करेगा/करेगी।

(ii) ईसीबी के ब्योरे देते हुए व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने चाहिए।

(iii) ऐसी जमानत (सिक्युरिटी) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप होगी।

(iv) ईसीबी का ऋण उच्चीकरण/गारंटी/विदेशी पार्टी/पार्टियों द्वारा इंश्योर्ड किया जा सकता है यदि वह/वे मौज़ूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत पात्र उधारदाता मानदण्डों को पूरा करता हो/पूरा करते हों।

10. भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटियां, आदि जारी करना

भारतीय बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसीज़ द्वारा ईसीबी के बाबत गारंटियां, आपाती साखपत्र, वचनपत्र अथवा चुकौती आश्वासनपत्र जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं (अर्थात भारतीय बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, अथवा एनबीएफसीज़) किसी भी प्रकार से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) में निवेश नहीं करेंगे/करेंगी।

11. कर्ज ईक्विटी अनुपात (Debt equity ratio)

उधारकर्ता एंटिटीज़ संबंधित सेक्टोरल अथवा प्रूडेंशियल विनियामक, यदि कोई हो, द्वारा विनिर्दिष्ट लिवरेज (leveragtte) अनुपात से विनियमित होंगी।

12. ईसबी देयता: ईक्विटी अनुपात[5]

प्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डर से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी लेने के मामले में, उधारकर्ता की विदेशी ईक्विटी होल्डर के प्रति देयता (समस्त बकाया ईसीबी एवं नई ईसीबी सहित) उसके (विदेशी ईक्विटी होल्डर) ईक्विटी अंशदान के चार गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ली गई ईसीबी के लिए, यह अनुपात 7:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी एंटिटी द्वारा ली गई समस्त ईसीबी का योग 5 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य तक होने के मामले में यह अनुपात लागू नहीं होगा।

नोट्स

[5] ईसीबी देयता के प्रयोजन हेतु ईक्विटी अनुपात: ईसीबी देयता की तुलना में ईक्विटी के अनुपात हेतु विदेशी ईक्विटी होल्डर द्वारा धारित ईक्विटी की गणना के प्रयोजनार्थ (कंपनी के) अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उसकी प्रदत्त पूंजी, फ्री रिज़र्व्स (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) को शामिल किया जाएगा। जहां उधारकर्ता कंपनी में एक से अधिक विदेशी

ईक्विटी होल्डर हों, वहां संबंधित उधारदाताओं द्वारा विदेशी मुद्रा में लाया गया शेयर प्रीमियम ही इस अनुपात की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

13. ईसीबी आगम राशि की पार्किंग

i. ईसीबी आगम राशि जो विदेशी मुद्रा में व्यय किए जाने के लिए हो, उपयोग होने तक विदेश में रखी जा सकती है। उनके उपयोग होने तक, उन्हें अग्रलिखित चल परिसंपत्तियों (ए) स्टैंडर्ड ऐंड पुअर द्वारा AA(-)/फिच द्वारा IBCA अथवा मूडीज़ की Aa3 से अन्यून रेटिंग प्राप्त बैंकों में जमा अथवा जमा प्रमाणपत्र अथवा प्रस्तावति किसी अन्य उत्पाद में; (बी) उल्लिखित न्यूनतम रेटिंग वाले एक वर्ष तक के खजाना बिलों (ट्रेज़री बिल्स) एवं अन्य मौद्रिक लिखतों में; (सी) विदेश में भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक कंपनियों (subsidiaries) में जमा के रूप में रखा जा सकता है।

ii. रुपया व्यय के लिए ली गई ईसीबी की आगम राशि भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के पास रखे अपने रुपया खाते में जमा करने के लिए तत्काल भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए। ईसीबी उधारकर्ताओं को यह अनुमति है कि वे भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास ईसीबी आगम राशि को अधिकतम 12 माह के लिए मीयादी जमा के रूप में भी रख सकते हैं। इन जमाराशियों को अभारग्रस्त रूप में रखा जाना चाहिए।

14. ईसीबी का ईक्विटी में परिवर्तन

i. निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत ईसीबी का ईक्विटी में परिवर्तन अनुमत है:

ए. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार विदेशी ईक्विटी में भागीदारी के लिए उधारकर्ता कंपनी की गतिविधि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत स्वचालित मार्ग अथवा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन, जहां कहीं लागू हो, के तहत आती हो;

बी. कर्ज के ऐसी ईक्विटी में परिवर्तन के पश्चात विदेशी ईक्विटी होल्डिंग लागू सेक्टोरल कैप के अंदर रहनी चाहिए/रहे;

सी. शेयरों के लिए लागू कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन होना चाहिए।

ii. ईसीबी देयता को ईक्विटी में परिवर्तित करने के लिए, ऐसे परिवर्तन के समय संबंधित पार्टियों के बीच हुए करार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को अमल में लाना समीचीन (उचित) होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि उधारकर्ता कंपनी ईसीबी उधारदाता के साथ हुए पारस्परिक करार के अंतर्गत उपर्युक्तानुसार आकलित से कम रुपए के लिए ईक्विटी शेयर जारी करना चाहती है। यह नोट किया जाए कि जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयर/रों का उचित मूल्य उनके परिवर्तन की तारीख के संदर्भानुसार किए गए आकलन के अनुसार होगा।

डी. ईसीबी लेने की प्रक्रिया

15. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी लेने की इच्छुक एंटिटीज़ विधिवत भरे हुए फार्म 83 (अनुबंध I) सहित अपने प्रस्ताव के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करें। जबकि

एतदर्थ अनुपालन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी, वहीं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भी यह सुनिश्चत करेगा कि ईसीबी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो। अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ईसीबी लेने इच्छुक उधारकर्ता फार्म ईसीबी (अनुबंध II) के रूप में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपना आवेदन जांच के लिए अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करेगा/करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एतदर्थ गठित अधिकार प्राप्त समिति समग्र दिशानिर्देशों, मैक्रो-इकोनोमिक परिस्थितियों एवं प्रस्ताव के गुणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ओवदनपत्रों पर विचार करेगी। अधिकार प्राप्त समिति में बाहरी के साथ-साथ आंतरिक सदस्य होंगे।

ई. रिपोर्टिंग व्यवस्था

16. ईसबी लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) प्राप्त करने के बाद ही किसी ईसीबी से ड्रा-डाउन के साथ ही साथ किसी फीस/प्रभारों का भुगतान किया जाना चाहिए। ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) प्राप्त करने के लिए, उधारकताओं को विधिवत प्रमाणित फार्म 83 (अनुबंध-I) को दो प्रतियों में नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उसकी एक प्रति निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051 को अग्रसारित करेगा। ईसीबी लेने के लिए ऋण करार की प्रतियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उधारकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे विधिवत प्रमाणित ईसीबी-2 (अनुबंध III) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से मासिक आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वह संबंधित माह की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को प्राप्त हो जाए।

17. ईसीबी के अंशत: अथवा पूर्णतः ईक्विटी में परिवर्तन के मामले में, रिज़र्व बैंक को निम्नवत रिपोर्टिंग की जाएगी:

i. अंशत: परिवर्तन के मामले में, परिवर्तित अंश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फ्लो को रिपोर्ट करने से संबंधित फार्म FC-GPR में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा, जबकि सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को मासिक रिपोर्टिंग विवरणी ईसीबी-2 (अनुबंध III) में की जाएगी जिसमें "ईसीबी अंशत: ईक्विटी में परिवर्तित" की उचित टिप्पणी अंकित की जानी चाहिए।

ii. पूर्ण परिवर्तन के लिए, संपूर्ण अंश को फार्म FC-GPR में रिपोर्ट किया जाएगा, जबकि सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को ईसीबी-2 विवरणी में रिपोर्ट करते समय (उसमें) "ईसीबी पूर्णत: ईक्विटी में परिवर्तित" टिप्पणी दर्ज की जाएगी। उसके बाद ईसीबी-2 विवरणी फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. फेज़ेस में ईसीबी को ईक्विटी में परिवर्तित करने के लिए ईसीबी-2 विवरणी में उसे फेज़ेस में ही रिपोर्ट करना होगा।

एफ. ईसीबी मामलों पर कार्रवाई करने लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

18. नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उधारकर्ताओं से प्राप्त ईसीबी के निम्नलिखित मामलों में अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं।

i. आहरण द्वारा कमी (ड्रा-डाउन)/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/संशोधन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ईसीबी के ड्रा-डाउन और ईसीबी की चुकौती अनुसूची/यों में (कितनी भी बार) परिवर्तनों/संशोधनों के बाबत किए गए अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, चाहे वे औसत परिपक्वता अवधि अथवा समस्त लागत में परिवर्तन (कमी/बढ़ोत्तरी) से संबंधित हों अथवा नहीं।

ii. उधार लेने की करेंसी में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विनिर्दिष्ट अन्य पैरामीटरों के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की करेंसी को किसी अन्य मुक्त रूप से परिवर्तनीय करेंसी अथवा भारतीय रुपये में परिवर्तित करने/लेने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

iii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में परिवर्तन

मौजूदा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर, उधारकर्ता अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को बदल सकता है।

iv. उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

कंपनी रजिस्ट्रार/उचित प्राधिकारी द्वारा कंपनी के नाम में परिवर्तन किये जाने के संबंध में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य/यों को प्रस्तुत करके किसी कंपनी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन करने हेतु किए गए अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एतदर्थ अनुमति प्रदान की जा सकती है।

v. बाह्य वाणिज्यिक उधार का अंतरण

किसी एक कंपनी से किसी अन्य कंपनी को बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतरण के मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है जहां लागू विधियों / नियमों को पूरा करने पर उधारकर्ता कंपनी के स्तर पर विलयन / अलग-अलग होने / समामेलन / अर्जन के कारण ऐसा किए जाने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्जक कंपनी पात्र उधारकर्ता हो।

vi. मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते (ए) मूल उधारदाता के साथ ही साथ

नया उधारदाता मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यताप्राप्त उधारदाता हो और (बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो। यदि ऐसा न हो तो संबन्धित मामले को विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को संदर्भित किया जाए।

vii. उधारदाता के नाम में परिवर्तन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता के नाम में परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते वे लेनदेन की सदाशयता और बाह्य वाणिज्यिक उधार लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में बने रहने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हों।

viii. बाह्य वाणिज्यिक उधार का पूर्व भुगतान

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत संविदागत ऋण के संबंध में लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के विनिर्देशन के अनुपालन के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार के पूर्व भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकते हैं ।

ix. ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) का निरस्तीकरण

संविदागत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए जारी ऋण पंजीकरण संख्या के निरस्तीकरण के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग/भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त ऋण पंजीकरण संख्या के तहत आहरण से कोई कमी (ड्रॉ-डाउन) न हुई हो और मासिक ईसीबी - 2 विवरणी (अनुबंध-III) आबंटित ऋण पंजीकरण संख्या के संबंध में तद्दिनांक तक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को प्रस्तुत की गई हो।

x. बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि के अंतिम उपयोग में परिवर्तन

स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतिम उपयोग में परिवर्तन के लिए ईसीबी उधारकर्ता से प्राप्त अनुरोध को नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते प्रस्तावित अंतिम उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों[6] के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हों।

नोट:

6. अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतिम उपयोग में किए जाने वाले परिवर्तन विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को संदर्भित होते रहेंगे।

xi. बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि में कमी

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक लागू ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत ईसीबी ड्रॉ डाउन और अदायगी अनुसूची, औसत परिपक्वता अवधि तथा समग्र लागत में परिवर्तन सहित अथवा परिवर्तन के बिना (कितनी भी बार) ईसीबी की राशि में कमी के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है/सकते हैं।

xii. बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत में परिवर्तन

तद्दिनांक को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी लागू मानदंडों के अंतर्गत ईसीबी उधारकर्ता द्वारा ईसीबी की समग्र लागत में परिवर्तन (कमी/वृद्धि) हेतु (अनुरोधों के अवसरों पर विचार किए बिना) अनुरोध किए जाने पर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एतदर्थ अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

xiii मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति नए बाह्य वाणिज्यिक उधार द्वारा करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते ऐसे उधार की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पिछले उधार की तुलना में कम न होती हो और नए बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार से कम हो। मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के किसी अंश के पुनर्वित्तपोषण के लिए नया ईसीबी लेने की अनुमति इन्हीं शर्तों पर प्रदान की जा सकती है।

19. प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत परिवर्तनों के लिए अनुमति प्रदान करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करें :

i. संशोधित औसत परिपक्वता अवधि और/अथवा समग्र लागत लागू उच्चतम सीमा/दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए और ये परिवर्तन ईसीबी कि अवधि में किए जाने चाहिए तथा ईसीबी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में सतत रूप से रहनी चाहिए।

ii. प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी द्वारा ईसीबी की शर्तों में परिवर्तनों को दी गई अनुमति और/अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अथवा उससे पूर्व संशोधित फॉर्म 83 के जरिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग/भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने चाहिए। संशोधित फॉर्म 83 (अनुबंध-I) को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग/भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करते समय परिवर्तनों का विशेष रूप से उल्लेख सूचना-पत्रादि में किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन परिवर्तनों को ईसीबी-2 विवरणी में उचित रूप में प्रदर्शित करना चाहिए।

जी. जांच के अधीन एंटिटी'ज़ द्वारा उधार

20. ऐसी सभी एंटिटी'ज़ जिनके विरुद्ध कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच / अधिनिर्णय / अपील लंबित हो/हों तब भी, वे लागू मानदंडों के अनुसार ईसीबी ले सकती हैं, भले ही ऐसी जांच /अधिनिर्णय /अपील का परिणाम कुछ भी क्यों न हो। तदनुसार ऐसे सभी आवेदनपत्रों जहां उधारकर्ता एंटिटी ने जांच /अधिनिर्णय / अपील का उल्लेख किया हो अनुमति प्रदान करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक / भारतीय रिज़र्व बैंक संबन्धित एजेंसियों को अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि परांकित करेगा।

एच. संयुक्त उधारदाता फोरम (JLF) अथवा कॉर्पोरेट कर्ज़ पुनर्संरचना (restructuring) के अंतर्गत आने वाली एंटिटी'ज़ द्वारा ईसीबी लेना

21. ऐसी एंटिटी जो संयुक्त उधारदाता फोरम / कॉर्पोरेट कर्ज़ पुनर्संरचना के अंतर्गत हैं वे संयुक्त उधारदाता फोरम / कॉर्पोरेट कर्ज़ पुनर्संरचना संबंधी अधिकारप्राप्त समिति से स्पष्ट अनुमति मिलने पर ही बाहय वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं।

आई. भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं / सहायक कंपनियों द्वारा सहभागिता

22. बैंककारी विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं / सहायक कंपनियों द्वारा ट्रैक-I के अंतर्गत भागीदारी की जा सकती है। इसके अलावा, बैंककारी विनियमन विभाग के मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारतीय बैंकों द्वारा मौजूदा ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण में भागीदारी नहीं की जाएगी।

अनुबंध I

फार्म 83

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन ऋण करार ब्योरों की रिपोर्टिंग)

उधारकर्ता द्वारा ईसीबी की सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए इसे दो प्रतियों में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को प्रस्तुत किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत जाँच करने के बाद फॉर्म के भाग एफ में आवश्यक ब्योरे दे तथा ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) के आबंटन के लिए एक प्रति (उधारकर्ता और उधारदाता के बीच ऋण करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर) निम्नलिखित को प्रेषित करें:

निदेशक

भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग

सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम)

भारतीय रिज़र्व बैंक

सी-8-9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

मुंबई - 400051

<table>
<tr><td colspan="11">करार के ब्योरे (बाहय वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरे जाएं)</td></tr>
<tr><td>ईसीबी मार्ग (वांछित कॉलम में टिक लगाएं)</td><td colspan="3">अनुमोदन मार्ग</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">स्वचालित मार्ग</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">अनुमोदन मार्ग के मामले में</td></tr>
<tr><td>भा.रि.बैंक-वि.मु.वि. द्वारा दिए गए अनुमोदन की सं. और तारीख:

(अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>ऋण की मूल (key) संख्या (भा.रि.बैंक द्वारा आबंटित)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पूर्ववर्ती ऋण पंजीकरण सं. (केवल संशोधित फॉर्म 83 के लिए लागू)</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">भाग ए: उधारकर्ता के ब्योरे</td></tr>
<tr><td rowspan="15">उधारकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गयी पंजीकरण सं.:

कंपनी की पीएएन (पैन) सं.:

व्यवसाय गतिविधि:
संपर्क अधिकारी का नाम :
पदनाम :

फोन सं :
फैक्स सं. :
ई-मेल आईडी :

(कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)</td><td colspan="4">उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td></tr>
<tr><td>सरकारी क्षेत्र</td><td></td><td>निजी क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">विस्तृत श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-विनिर्माण</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-इंफ्रास्ट्रक्चर</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर)</td></tr>
<tr><td colspan="4">कार्पोरेट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर से भिन्न)</td></tr>
<tr><td colspan="4">बैंक</td></tr>
<tr><td colspan="4">वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आईएफसी</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एमएफआई</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="2">गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अन्य</td><td colspan="2">पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td colspan="4">गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ)</td></tr>
<tr><td colspan="4">व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफआई)</td></tr>
<tr><td colspan="4">अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</td></tr>
<tr><td colspan="5">भाग:बी उधारदाता के ब्योरे</td></tr>
<tr><td rowspan="2">उधारदाता/पट्टादाता/विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)</td><td colspan="4">उधारदाता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)</td></tr>
<tr><td colspan="4">बहुपक्षीय वित्तीय संस्था</td></tr>
</table>

देश: ई-मेल आईडी : (कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)	विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)
	निर्यात ऋण एजेंसी
	विदेश में स्थित भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा
	अन्य वाणिज्य बैंक
	उपकरण के आपूर्तिकर्ता
	पट्टादायी कंपनी
	विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक
	अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार
	क्षेत्रीय वित्तीय संस्था
	सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था अन्य(विनिर्दिष्ट करें)
उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी ईक्विटी धारिता के ब्योरे: (ए) उधारकर्ता का प्रदत्त ईक्विटी में शेयर (%)	(बी) प्रदत्त पूंजी की राशि
ईसीबी-देयता: विदेशी ईक्विटी धारक से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर के उधार के मामले में ईक्विटी अनुपात	

भाग सी: ऋण के ब्योरे

ऋण करार की तारीख (ववvव/मम/दिदि)										
ऋण की प्रभावी तारीख										
संवितरण की अंतिम तारीख										
परिपक्वता तारीख (अंतिम भुगतान तारीख)										

रियायत अवधि (यदि करार में हो)	वर्ष			माह		
मुद्रा				**करेंसी कूट**(स्विफ्ट)		

1. 2. 3.							
राशि (विदेशी मुद्रा में) 1. 2. 3.							

समतुल्य राशि(अमरीकी डॉलर में) (इस फॉर्म की तारीख को)	

राशि का प्रस्तावित द्विभाजन	विदेशी मुद्रा व्यय	रुपया व्यय
(ऋण मुद्रा में)		

हेजिंग के ब्योरे (उचित कॉलम में टिक लगाएं)	करेंसी स्वैप	ब्याज दर स्वैप	अन्य	अनहेज्ड

यदि ऋण करार में विकल्प दिए गए हैं(उचित कॉलम में टिक लगाएं)

कॉल ऑप्शन		कर्ज का प्रतिशत	दिनांक के बाद निष्पादित किया जा सकता है										
पुट ऑप्शन		कर्ज का प्रतिशत	दिनांक के बाद निष्पादित किया जा सकता है										

गारंटीकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

संपर्क अधिकारी का नाम:

पदनाम:

फोन सं.: फैक्स सं.: ई-मेल आईडी:

गारंटी स्टेटस कूट (बॉक्स 1 देखें)

उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें) : (यदि बहुप्रयोजनीय हो,तो प्रत्येक प्रयोजन हेतु उपयोग की जानेवाली राशि अलग-अलग अनुबंध में दें)		
परियोजना ब्योरे:		
यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो ब्योरे संलग्न करें):		
आर्थिक क्षेत्र/उद्योग कूट(बॉक्स 3 देखें)		
ईसीबी के प्रकार(उचित कॉलम में टिक लगाएं)		

	1.खरीदार का ऋण		2.वाणिज्यक ऋण/सामूहिक ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत संवितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)	
	3. आपूर्तिकर्ता का ऋण		4.द्विपक्षीय स्रोतों से निर्यात ऋण	
	5. ऋण सहायता		6.प्रतिभूतिकृत लिखत – (बांड, सीपी, एफआरएन, आदि)	
	7.वित्तीय पट्टा		8.एफसीसीबी,एफसीईबी, अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर	
	9.पुराने ईसीबी को पुनर्वित्त: पुराने ईसीबी की ऋण पंजीकरण सं अनुमोदन सं. अनुमोदन की तारीख: पुनर्वित्त राशि कारण:			
	10. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

ब्याज भुगतान अनुसूची :											
पहली भुगतान तिथि					/		/		वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या		
नियत दर											
अस्थायी दर	आधार (base) करेंसी के साथ		मार्जिन		कैप नियत दर		न्यूनतम नियत दर				

आहरण द्वारा कमी की अनुसूची

श्रृंखला सं.	दिनांक* (वर्ष/माह/दिन)	मुद्रा	राशि	यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तें हों तो #	
				आहरणों की कुल सं.	कैलेंडर वर्ष में आहरणों की संख्या

	*1.	माल और सेवाओं के आयात के मामले में आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि दी जाए।
	2.	वित्तीय पट्टे के मामले में माल के अधिग्रहण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।
	3.	प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।
	4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि ऊपर एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए। # यदि आहरण असमान किस्तों में है तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध)में दिए जाएं।

मूल चुकौती अनुसूची

दिनांक (वर्ष/माह/ दिन)	मुद्रा	राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तें हों तो#	
			भुगतान किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या

यदि आहरण असमान किस्तों में है तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध) में दिए जाएं।

भाग डी: अन्य प्रभार					
प्रभार का स्वरूप (स्पष्ट करें)	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.
विलंब से भुगतान के लिए दण्डात्मक ब्याज		नियत %अथवा आधार: मार्जिन:			
प्रतिबध्दता प्रभार		का प्रति वर्ष% अनाहरित राशि का %			

भाग ई: पहले लिए गए ईसीबी के ब्योरे-(पहली बार उधार लेने वाले पर लागू नहीं)					
वर्ष	ऋण पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि		
			मूल राशि(करार के अनुसार)	अब तक वितरित राशि	निवल बकाया राशि (मूल)

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त, ईसीबी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

स्थान : ____________

____

दिनांक : ____________ मुहर (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम:___________ पदनाम: ________

____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

स्थान : ____________

दिनांक: मुहर नाम

पंजीकरण

सं.______________________

भाग एफ: (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाना है)

हमने संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की है और निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि:

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">अंतिम उपयोग (यदि एक अंतिम उपयोग से अधिक उपयोग हैं तो % हिस्सा दें)</td><td rowspan="3">(i)
(ii)
(iii)</td><td colspan="3">निम्नलिखित में से एक को टिक करें</td></tr>
<tr><td>स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत</td><td colspan="2">विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">औसत परिपक्वता</td><td colspan="2">वर्ष</td><td colspan="2">माह</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="2">लागत फैक्टर (%)</td><td rowspan="2" colspan="2">नियत दर ऋण</td><td colspan="2">फ्लोटिंग दर ऋण</td></tr>
<tr><td>मार्जिन (स्प्रेड) ओवर बेस</td><td>बेस</td></tr>
<tr><td>ए) ब्याज दर</td><td colspan="2"></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>बी) समग्र लागत</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="5">विदेशी ईक्विटी धारक से ऋण के मामले में, यह पुष्टि की जाती है कि:</td></tr>
</table>

	ए) उधारकर्ता की प्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डिंग प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम 25 प्रतिशत है (भा.रि.बैंक द्वारा रिकार्ड पर लिए गए एफसीजीपीआर /रिकार्ड पर लिए गए एफसीटीआरएस के अनुसार) बी) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक उधारों के लिए प्रस्तावित उधारों सहित, ईसीबी देयता-ईक्विटी अनुपात (4:1) मापदंड का पालन किया जाता है	
5	उधारकर्ता ने प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का लिखित वचनपत्र दिया है कि वह विगत ईसीबी/एफसीसीबी ऋणों के संबंध में भा.रि.बैंक को नियमित रूप से ईसीबी-2 विवरण प्रस्तुत कर रहा है	हाँ/लागू नहीं
6	एलआरएन आबंटित करने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और इस फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। यह आवेदन पत्र, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशा निदेशों के अनुरूप है तथा हम भा.रि.बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर (एलआरएन) के आबंटन के लिए सिफारिश करते हैं ।

स्थान : __________ मुहर

____

दिनांकः __________ (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नामः पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम :

प्रा.व्या.कूट(भागIऔरभागII):

टेलीफोन नं.: फैक्स नं.

ई-मेल आईडी:

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) के उपयोग के लिए

<table>
<tr><td>सीएस-डीआरएमएस टीम</td><td colspan="2">प्राप्ति तारीख</td><td colspan="3">कार्रवाई की तारीख</td><td colspan="3">ऋण वर्गीकरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>एलआरएन(यदि आबंटित हो)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

फॉर्म 83 प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. सभी तिथियां वर्ष/महीना/दिनांक के फार्मेट में होनी चाहिए (जैसे 21 जनवरी 2012 के लिए 2012/01/21)।
2. कोई भी मद (कॉलम) रिक्त न छोड़ें। जहां कोई विशेष मद लागू न हो वहां 'लागू नहीं' लिखें।
3. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फार्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए। ऐसा प्रत्येक संलग्नक उधारकर्ता और प्राधिकृत व्यापारी दोनों द्वारा प्रमाणित किया जाए ।
4. उधारकर्ता प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए अपने व्यवसाय गतिविधि (क्या विनिर्माण/ व्यापार/ सेवा प्रदाता, आदि) का संक्षिप्त ब्योरा दें।
5. रिज़र्व बैंक को फार्म अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि फार्म सभी तरह से पूर्ण और सही है तथा संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे। अपूर्ण फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को अस्वीकृत किए /वापस लौटाये जा सकते हैं ।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली फर्में / कंपनियां यह फार्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।
7. फॉर्म का भाग सी भरने में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कूट हैं :

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट

क्रम सं.	**कूट**	**विवरण**
1	जीजी	भारत सरकार की गारंटी
2	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र की गारंटी
3	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की गारंटी
4	एफआइ	वित्तीय संस्था की गारंटी
5	एमबी	बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्था की गारंटी
6	पीजी	निजी बैंक की गारंटी
7	पीएस	निजी क्षेत्र की गारंटी
8	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति

बॉक्स 2 : उधार कूट का प्रयोजन

क्रम सं.	**कूट**	**विवरण**
1	आइसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग
4	आरएफ	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का नूतनीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	बिजली
8	टीएल	दूरसंचार

		बंधक
9	ओजी	अन्य गारंटी
10	एनएन	गारंटीकृत नहीं

9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आईएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआई	शहरी मूलभूत आवश्यक संरचना तत्व
14	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
15	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
16	टीएस	टेक्सटाइल उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
17	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
19	ईआर	खनन, अन्वेषण और परिष्करण
20	सीएस	कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत कमरा सुविधा
21	सीआई	निर्माण के दौरान ब्याज
22	आरआर	रुपया ऋण की चुकौती
23	आरबी	एफसीसीबी का मोचन

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट		
उद्योग समूह का नाम	उद्योग का विवरण	कूट
बागान(100)	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन(200)	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण		300
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट तथा तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
कपड़ा(टेक्सटाइल) उत्पाद (420)	सूती वस्त्र	421
	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434

	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा (टेक्सटाइल) मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442
	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेरस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेरस	452
	विशेष एलौव्ज	453
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हार्डवेअर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद (उर्वरक)	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शैंम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483

	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700
उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं(900)		900
	दूरसंचार सेवाएं	911
	सॉफ्टवेअर विकास सेवाएं	912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914
	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
	वित्तीय सेवाएं	917
	परिवहन सेवाएं	919
	अन्य	950
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		999

अनुबंध II

फार्म ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत की उगाही के लिए आवेदनपत्र

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदनपत्र, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करें।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं ;

(i) विदेशी उधारदाता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।

(ii) आयात संविदा, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल की एक प्रति ।

भाग-ए- उधारकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम

   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

   पता

2. आवेदक की हैसियत

   i) निजी क्षेत्र
   ii) सरकारी क्षेत्र

भाग-बी-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के बारे में जानकारी

	मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii)	क्रेता ऋण	
(iii)	सामूहिक ऋण	
(iv)	निर्यात ऋण	
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	
(vii)	नियत दर वाले बांड	
(viii)	ऋण सहायता	
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

सी) बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें :

(i) ब्याज दर :

(ii) प्रारंभिक शुल्क (अप-फ्रंट फी) :

(iii) प्रबंधन शुल्क :

(iv) अन्य प्रभार,अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें) :

(v) समग्र लागत :

(vi) वायदा(commitment) शुल्क :

(vii) दंडात्मक ब्याज की दर :

(viii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि :

(ix) क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो :

(x) रियायत/अधिस्थगन अवधि :

(xi) चुकौती की शर्तें (अर्धवार्षिक/वार्षिक/बुलेट) :

(xii) औसत परिपक्वता

----

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग सी - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी जानकारी

प्रस्तावित अनुसूची								
आहरण द्वारा कमी			**मूलधन की चुकौती**			**ब्याज का भुगतान**		
माह	**वर्ष**	**राशि**	**माह**	**वर्ष**	**राशि**	**माह**	**वर्ष**	**राशि**

भाग डी - अतिरिक्त जानकारी

1. परियोजना संबंधी जानकारी

i) परियोजना का नाम और स्थान :

ii) परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर

iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के

रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :

iv) परियोजना का स्वरूप :

v) क्या वित्तीय संस्था /

बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :

vi) संरचनात्मक क्षेत्र : :

ए) बिजली

बी) दूरसंचार

सी) रेलवे

डी) पुल समेत रोड

ई) पोर्ट

एफ) औद्योगिक पार्क

जी) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज

vii) क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :

अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं, मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें ।

2. पहले लिया गया बाहय वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	करेंसी	ऋण राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग ई - प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्‌वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

____

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान ____________

नाम : ______________________________

दिनांक ____________

मुहर

पदनाम : ____________________________

फोन सं. : ____________________________

फैक्स सं. : __________________________

ई-मेल : ____________________________

---

2. प्राधिकृत व्यापारी द्‌वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान ____________

नाम : ______________________________

दिनांक ____________

मुहर

बैंक /शाखा का नाम : ____________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट: -----------------------------

अनुबंध- III

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्टिंग

(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह ____________ की विवरणी

1. यह विवरणी ईसीबी के सभी संवर्गो के लिए भरी जानी चाहिए। इसे माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।

2. कृपया कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने "लागू नहीं" लिखें।

3. सभी तिथियां वववव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21 जनवरी 2012 के लिए 2012/01/21 ।

4. विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई)/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं आदि के जरिए उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।

5. रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विवरणी सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही है।

6. 1 फरवरी 2004 के बाद के सभी ऋणों के लिए ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) का उल्लेख किया जाए। उससे पहले के ऋणों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित ऋण पहचान संख्या (LIN)/रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख किया जाए।

7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।

8. भाग सी (उपयोग) के लिए निम्नलिखित कूट प्रयोजनों का उपयोग किया जाए।

कूट/कोड	विवरण	कूट	विवरण
आईसी	पूंजी माल का आयात	पीटी	पोर्ट
आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	आईएस	औद्योगिक पार्क
आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
आई पी	ब्याज भुगतान	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
एचए	विदेश में धारित राशि	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
एनपी	नई परियोजना	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	ईआर	माइनिंग एक्स्प्लोरेशन ऐंड रिफाइनिंग
पीडब्ल्यू	बिजली	सीएस	कोल्ड स्टोरेज और कोल्डरूम सुविधा
टीएल	दूरसंचार	सीआई	विनिर्माण के दौरान ब्याज
आरड ब्ल्यू	रेलवे	आरआर	यपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
आरडी	रोड	आरबी	एफसीसीबीज़ का मोचन

9. विप्रेषण के लिए निधियों के स्रोत के बाबत भाग डी(कर्ज का भुगतान) में निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।

कूट	विवरण
ए	भारत से विप्रेषण
बी	विदेश में धारित खाता
सी	विदेश में धारित निर्यात आय
डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं. (LRN)									

<table>
<tr><td colspan="3">ऋण की राशि</td><td>उधारकर्ता के ब्योरे</td></tr>
<tr><td></td><td>मुद्रा</td><td>राशि</td><td rowspan="7">उधारकर्ता का नाम और पता
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
संपर्ककर्ता व्यक्ति का नाम
पदनाम
फोन सं.
फैक्स सं.
ई-मेल आइडी :</td></tr>
<tr><td rowspan="3">करार के अनुसार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">संशोधित(Revised)
(यदि वितरण की अवधि समाप्त हो चुकी हो/रद्द की जा चुकी हो/ भविष्य में आहरित न की जानी हो, तो उसका उल्लेख करें)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

भाग बी : वितरण

बी.1. माह के दौरान आहरण (वितरण) द्वारा कमी (ऋण की करेंसी में):

ब्योरे	दिनांक (ववvव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	बैंक/शाखा का नाम	खाता सं.
ए. विदेश में पार्क राशि					
बी. भारत विप्रेषित राशि				अपेक्षित नहीं	
टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए । 2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। 3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए। 4. मल्टी करेंसी ऋण के मामले में, विवरणी के साथ अलग से ब्लाक संलग्न किए जाएं।					

बी 2. भविष्य में आहरित किए जाने वाले ऋण की बकाया राशि:

आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (ववववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एक-समान किस्तें हो तो	
			आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

भाग सी: उपयोग

सी.1: महीने के दौरान आहरण द्वारा (केवल मूल राशि में) कमी के उपयोग के ब्योरे :

ब्योरे	दिनांक	प्रयोजन कूट*	मुद्रा	राशि	देश	बैंक का नाम	खाता सं.
विदेश में रखी राशि से							
भारत विप्रेषित राशि से					अपेक्षित नहीं		
* पेज नं. 1 पर नोट नं. 8 के अनुसार कोड							

सी.2: विदेश में रखी गई राशिगत (केवल मूल राशि) बकाया:

ब्योरे	दिनांक	मुद्रा	राशि	बैंक/शाखा का नाम	खाता सं.
माह के अंत में					

भाग डी: कर्ज का भुगतान

डी.1: माह के दौरान (ऋण की करेंसी में) मूल धन की चुकौती, ब्याज का भुगतान आदि

श्रृखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण का दिनांक	मुद्रा	राशि	विप्रेषण के स्रोत के लिए कोड*	क्या मूल धन की समयपूर्व अदायगी है? (हां/नहीं)#
	मूलधन की चुकौती@					
	ब्याज@ दर					
	अन्य (उल्लेख करें)					
* पेज नं. 1 पर नोट नं. 9 के अनुसार कोड # समयपूर्व चुकौती के मामले में कृपया स्वचालित/अनुमोदन मार्ग, नं. दिनांक, राशि के ब्योरे						

संलग्नक में दें। @ एफसीसीबी/ईसीबी के ईक्विटी में परिवर्तन, बकाया एफसीसीबी के बायबैक/मोचन अथवा इसीबी मूलधन को बट्टे खाते डालने के ट्रांजैक्शन (लेनदेन) उचित टिप्पणी के साथ मूलधन की चुकौती के समक्ष दर्शाएं जाएं।

डी.2: परिशोधित मूल राशि की चुकौती अनुसूची **(**अगर परिशोधित **/** ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में ऋण की मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तें हों तो		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं.(1,2,3,4,6,12)	

भाग ई: अन्य

ई.1 संविदागत (contracted) वित्तीय हेज (यदि कोई हो) के ब्योरे:

ब्योरे	प्रकार	करेंसी स्वैप	वायदा(forward)	आप्शन	अन्य	कुल राशि	ब्याज दर स्वैप
मूल	विदेशी मुद्रा - रुपया						
	विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा						
कूपन	विदेशी मुद्रा - रुपया						
	विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा						

ई.2 विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय (यदि कोई हो) के ब्योरे:

विगत तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक राशि (लगभग) (किसी एक विदेशी मुद्रा में रिपोर्ट की जाए)

वित्तीय वर्ष	करेंसी	विदेशी मुद्रा अर्जन	विदेशी मुद्रा में व्यय

भाग एफ: बकाया मूलधन

बकाया ऋण राशि (उस मुद्रा में जिसमें ऋण लिया गया)

(अर्थात कुल आहरण द्वारा कमी - माह के अंत तक कुल चुकौती)

मुद्रा ____________ ☐ ☐ ☐ राशि: ____________

हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं । कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : ____________ स्टैम्प ____________

____

दिनांक : ____________ उधारकर्ता कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम: ____________________

पदनाम : ____________________

टेलीफोन नं.____________________

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय का ____________________________ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार हैं और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

स्थान : ____________ दिनांक : ____________ [मुहर]	___________________________ (प्राधिकृत व्यापारी का हस्ताक्षर) नामः _______________________________________ पदनाम :____ प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता :--- टेलीफोन नं.:------------------------------------- ई-मेल आयडी:------------------------------------